

1/10/24
09.09.2024

9.9.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2024/564

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
ओमप्रकाश आदि बनाम स्टेट

मुकदमा किस्म -- रास्ता स्वीकृति

प्रकरण संख्या 65 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29.08.2024	<p>वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड नोटिस से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 09.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o n</p>	
09.09.2024	<p>वकुलार फरिदिकेन उपखण्ड स्टेट जवाब पत्रावली इका वरत सुनी गरी। पत्रावली का अवलोकन डिफा गणा। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट नार्ड के आधार पर पत्रावली पर स्वीकर किया जाता है। पूर्ण डिक्शन साहित्त निर्णय अलग से लिखपा जाकर शाकिल फरदिल डिफा जाके पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर वरत तारीख रकमील जाका दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">o n</p>	



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर
क्रमांक/रीडर/2024/731

दिनांक 10/9/2024

तहसीलदार राजस्व
पल्लू

मुकदमा संख्या : 65/2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति
अनवान मुकदमा :-

1. ओमप्रकाश अहलावत पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी केहरवाला बारानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ, राज0।
2. मनीष पुत्र राजेश जाति जाट निवासी चक 2 के.डब्ल्यू.एम. संसारदेसर तहसील छतरगढ जिला बीकानेर, राज0।
3. विजयसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपुत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।
4. श्रवणसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ, राज0।

-प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-अप्रार्थी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति पर दिनांक 07.09.2024 को निर्णय करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा पल्लू के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1271/367 की 0.3542 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः आप इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को अन्दर 7 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रावतसर